अपील

दिनांक 9.07.2014 से राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर तथा दिनांक 19.07.2014 से मुख्य पीठ जोधपुर सहित कुछ अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्तागण उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा अधिवक्तागण से कार्य बहिष्कार प्रस्ताव वापिस लेने हेतु कई बार वार्ता की गई तथा उचित मांगों के संबंध में विचार करने हेतु आश्वस्त भी किया गया। इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति ने अपने सहयोगी न्यायाधिपतिगण के साथ मिलकर अधिवक्तागण के प्रतिनिधि मण्डल के साथ दिनांक 10.08.2014 को तीन घण्टे से अधिक समय तक वार्ता कर अधिवक्तागण से कार्य पर लौटने का अनुरोध करते हुए उनकी उचित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा गठित उपसमिति के तीन सदस्यों द्वारा सभी संबंधित अधिवक्ता संघों के प्रतिनिधियों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण के साथ वार्ता कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2014 को प्रस्तुत की जिसमें अधिवक्तागण के कार्य बहिष्कार को पूर्णतया अवैधानिक तथा जनसामान्य एवं वादकारियों के हितों का विरोधी माना है। इस संबंध में राजस्थान प्रदेश की बार काउंसिल द्वारा भी अधिवक्तागण को कार्य पर वापिस लौटने की अपील की गई है।

इस संदर्भ में यह सूचित करना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के सुझावों पर आधारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उच्च न्यायालय जोधपुर तथा जयपुर पीठ और समस्त जिला न्यायालयों में शिकायत निवारण समिति का गठन कर दिया गया है, जिसे अधिवक्तागण तथा उनके संघों की सभी समस्याओं और मांगों पर वार्ता करने तथा सुझाव देने का अधिकार होगा। इस प्रकार शिकायत निवारण समिति के गठन के पश्चात अधिवक्तागण द्वारा कार्य बहिष्कार का औचित्य नहीं रह गया है।

यह भी उललेखनीय है कि अधिवक्तागण द्वारा जिन मांगों पर कार्य बहिष्कार प्रारम्भ किया गया था, में किसी भी प्रकार का जनहित या वादकारियों का हित सम्मिलित नहीं है, फिर भी उच्च न्यायालय प्रशासन आश्वासन देता है कि कार्य बहिष्कार समाप्त करने पर अधिवक्तागण की सभी उचित मांगों पर शिकायत निवारण समिति के माध्यम से बातचीत एवं विचार किया जाएगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में अधिवक्तागण से पुनः अपील की जाती है कि वे जनहित एवं वादकारियों के हित में कार्य बहिष्कार समाप्त करके न्यायिक कार्यों में सहयोग प्रदान करें।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार जनरल
राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर